राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2746/2024

कोमल कुमारी गुप्ता —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बूंदी।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पल्लव शर्मा, अधिवक्ता,

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 13.04.2023 के द्वारा हुई थी और अपीलार्थी को नियुक्ति के पश्चात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलिस स्टेशन के पास, मैन मार्केट, तालेडा, जिला बूंदी में पदस्थापित किया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.04.2023 को कार्य ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त विद्यालय में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से रिक्त पदों के सम्बन्ध में जो सूची दिनांक 18.07.2024 को संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा को प्रेषित की गयी है, उसमें अपीलार्थी के पद को रिक्त दर्शाया गया है, जबकि उस पद पर अपीलार्थी कार्यरत है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी द्वारा अपीलार्थी के पद को रिक्त दिखाने के कारण भविष्य में अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को पदस्थापित कर दिया जाएगा, जिससे अपीलार्थी के अधिकारों का हनन होगा।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)

माध्यमिक, बूंदी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलिस स्टेशन के पास, मैन मार्केट, तालेडा, जिला बूंदी में रिक्त पदों के सम्बन्ध में पुनः जांच करें और रिक्त पदों की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पुनः उसकी सूचना संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा को प्रेषित करें। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाए।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)